

एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017

धाराओं का क्रम

धाराएं

अध्याय 1

प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ ।
2. परिभाषाएं ।

अध्याय 2

प्रशासन

3. अधिकारियों की नियुक्ति ।
4. राज्य कर या संघ राज्यक्षेत्र कर के अधिकारियों का कतिपय परिस्थितियों में समुचित अधिकारी के रूप में प्राधिकार ।

अध्याय 3

कर का उद्ग्रहण और संग्रहण

5. कर का उद्ग्रहण और संग्रहण ।
6. कर से छूट प्रदान करने की शक्ति ।

अध्याय 4

पूर्ति की प्रकृति का अवधारण

7. अंतरराज्यिक पूर्ति ।
8. राज्य के भीतर पूर्ति ।
9. राज्यक्षेत्रीय सागर खंड में पूर्तियां ।

अध्याय 5

माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति का स्थान

10. भारत में आयातित या भारत से निर्यातित माल की पूर्ति से भिन्न माल की पूर्ति का स्थान ।
11. भारत में आयातित या भारत से निर्यातित माल की पूर्ति का स्थान ।
12. सेवाओं की पूर्ति का स्थान, जहां पूर्तिकार और प्राप्तिकर्ता का अवस्थान भारत में है ।
13. सेवाओं को पूर्ति का स्थान, जहां पूर्तिकार का अवस्थान या प्राप्तिकर्ता का अवस्थान भारत से बाहर है ।
14. पूर्तिकार द्वारा आनलाइन सूचना और डाटाबेस पहुंच या सुधार सेवाओं के कर का संदाय करने का विशेष उपबन्ध ।

अध्याय 6

अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक को एकीकृत कर का प्रतिदाय

15. भारत छोड़ने वाले पर्यटक को माल की पूर्ति पर संदत्त एकीकृत कर का प्रतिदाय ।

अध्याय 7

शून्य दर पूर्ति

16. शून्य दर पूर्ति ।

धाराएं

अध्याय 8

कर का प्रभाजन और निधियों का व्यवस्थापन

17. कर का प्रभाजन और निधियों का व्यवस्थापन ।
- 17क. कतिपय रकमों का अंतरण ।
18. इनपुट कर प्रत्यय का अंतरण ।
19. सदोष संगृहीत और केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार को संदत्त कर ।

अध्याय 9

प्रकीर्ण

20. केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम के उपबन्धों का लागू होना ।
21. नियत दिन को या उसके पश्चात् की गई सेवाओं का आयात ।
22. नियम बनाने की शक्ति ।
23. विनियम बनाने की शक्ति ।
24. नियमों, विनियमों और अधिसूचनाओं का रखा जाना ।
25. कठिनाइयों को दूर करना ।

एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017

(2017 का अधिनियम संख्यांक 13)

[12 अप्रैल, 2017]

केन्द्रीय सरकार द्वारा माल या सेवाओं या दोनों की अंतरराज्यिक पूर्ति पर कर के उद्ग्रहण और संग्रहण के लिए उपबन्ध करने के लिए तथा उससे सम्बन्धित या उसके आनुषंगिक विषयों के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

अध्याय 1

प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ—(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 है।

(2) इसका विस्तार 1*** सम्पूर्ण भारत पर होगा।

(3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे:

परन्तु इस अधिनियम के भिन्न-भिन्न उपबन्धों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी तथा इस अधिनियम के प्रारम्भ के प्रति ऐसे किसी उपबन्ध में किसी निर्देश का अर्थ उस उपबन्ध के प्रवृत्त होने के प्रति निर्देश के रूप में लगाया जाएगा।

2. परिभाषाएं—इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(1) “केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम” से केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 अभिप्रेत है;

(2) “केन्द्रीय कर” से केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन उद्गृहीत और संगृहीत कर अभिप्रेत है;

(3) “निरंतर यात्रा” से ऐसी यात्रा अभिप्रेत है, जिसके लिए या तो सेवा के एकल पूर्तिकार द्वारा या सेवा के एक पूर्तिकार से अधिक की ओर से कार्य करने वाले किसी अभिकर्ता के माध्यम से एक ही समय एक या एक से अधिक टिकट या बीजक जारी किया गया है और जिसमें उस यात्रा की, जिसके लिए एक या अधिक अलग टिकट या बीजक जारी किए गए हैं, किन्हीं मंजिलों के बीच कोई मध्य विश्राम अंतर्वलित नहीं है।

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिए, “मध्य विश्राम” पद से ऐसा स्थान अभिप्रेत है, जहां कोई यात्री या तो दूसरे वाहन में स्थानांतरण के लिए या कतिपय अवधि के लिए अपनी यात्रा को किसी पश्चात्कर्ती समय बिन्दु पर पुनः प्रारम्भ करने हेतु रुकने के लिए उतर सकता है;

(4) “भारत की सीमाशुल्क सरहद” से सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 2 में यथा परिभाषित सीमाशुल्क क्षेत्र की सीमाएं अभिप्रेत हैं;

(5) “माल का निर्यात” से उसके व्याकरणिक रूपभेदों और सजातीय पदों के साथ भारत से माल को भारत के बाहर किसी स्थान पर ले जाना अभिप्रेत है;

(6) “निर्यात सेवाओं” से किसी सेवा का ऐसा प्रदाय अभिप्रेत है, जब—

(i) सेवा का पूर्तिकार भारत में अवस्थित है;

(ii) सेवा का प्राप्तिकर्ता भारत के बाहर अवस्थित है;

(iii) सेवा की पूर्ति का स्थान भारत के बाहर है;

(iv) सेवा के पूर्तिकार द्वारा ऐसी सेवा के लिए संदाय संपरिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में² या जहां कहीं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुज्ञात किया जाए, वहां भारतीय रुपयों में प्राप्त किया गया है; और

¹ 2017 के अधिनियम सं० 27 की धारा 2 द्वारा “जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय” शब्दों का लोप किया गया।

² 2018 के अधिनियम सं० 32 की धारा 2 द्वारा “या जहां कहीं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुज्ञात किया जाए, वहां भारतीय रुपयों में” शब्दों का अंतःस्थापित।

(v) सेवा का पूर्तिकार और सेवा का प्राप्तिकर्ता धारा 8 के स्पष्टीकरण के अनुसार मात्र किसी विशेष व्यक्ति के स्थापन नहीं हैं।

(7) “स्थिर स्थापन” से ऐसा स्थान (कारबार के रजिस्ट्रीकृत स्थान से भिन्न) अभिप्रेत है, जिसे सेवाओं की पूर्ति के लिए या अपने स्वयं की आवश्यकताओं के लिए सेवाएं प्राप्त करने और उनका उपयोग करने के लिए मानव और तकनीकी संसाधनों के रूप में स्थायित्व की पर्याप्त मात्रा और उपयुक्त संरचना द्वारा विशिष्टता का वर्णन किया गया है;

(8) “माल और सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर) अधिनियम” से माल और सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर) अधिनियम, 2017 अभिप्रेत है;

(9) “सरकार” से केन्द्रीय सरकार अभिप्रेत है;

(10) “माल का आयात” से उसके व्याकरणिक रूपभेदों और सजातीय पदों के साथ भारत के बाहर किसी स्थान से भारत में माल लाना अभिप्रेत है;

(11) “सेवाओं का आयात” से किसी सेवा की पूर्ति अभिप्रेत है, जहां,—

(i) सेवा का पूर्तिकार भारत के बाहर अवस्थित है;

(ii) सेवा का प्राप्तिकर्ता भारत में अवस्थित है;

(iii) सेवा की पूर्ति का स्थान भारत में है;

(12) “एकीकृत कर” से इस अधिनियम के अधीन उद्गृहीत एकीकृत माल और सेवा कर अभिप्रेत है;

(13) “मध्यवर्ती” से कोई दलाल, कोई अभिकर्ता या कोई अन्य व्यक्ति, जिस भी नाम से ज्ञात हो, अभिप्रेत है, जो दो या अधिक व्यक्तियों के बीच माल या सेवाओं या दोनों की या प्रतिभूतियों की पूर्ति का इंतजाम करता है या उसे सुकर बनाता है किन्तु इसके अन्तर्गत ऐसा व्यक्ति नहीं है, जो ऐसे माल या सेवाओं या दोनों की या प्रतिभूतियों की पूर्ति अपने वास्ते करता है;

(14) “सेवाओं के प्राप्तिकर्ता का अवस्थान” से निम्नलिखित अभिप्रेत है,—

(क) जहां कोई पूर्ति, कारबार के ऐसे स्थान पर प्राप्त की जाती है, जिसके लिए रजिस्ट्रीकरण अभिप्राप्त किया गया है, ऐसे कारबार के स्थान का अवस्थान;

(ख) जहां पूर्ति, कारबार के ऐसे स्थान से भिन्न किसी स्थान पर प्राप्त की जाती है, जिसके लिए रजिस्ट्रीकरण अभिप्राप्त किया गया है (अन्यत्र कोई स्थिर स्थापन), ऐसे स्थिर स्थापन का अवस्थान;

(ग) जहां पूर्ति, एक से अधिक स्थापन पर प्राप्त की जाती है, चाहे वह कारबार का स्थान हो या स्थिर स्थापन, पूर्ति की प्राप्ति के सम्बन्ध में सर्वाधिक प्रत्यक्ष स्थापन का अवस्थान; और

(घ) ऐसे स्थानों के अभाव में, प्राप्तिकर्ता के निवास के मामूली स्थान का अवस्थान;

(15) “सेवाओं के पूर्तिकार का अवस्थान” से अभिप्रेत है,—

(क) जहां कोई पूर्ति, कारबार के ऐसे स्थान पर की जाती है, जिसके लिए रजिस्ट्रीकरण अभिप्राप्त किया गया है, ऐसे कारबार के स्थान का अवस्थान;

(ख) जहां पूर्ति, कारबार के ऐसे स्थान से भिन्न किसी स्थान पर की जाती है, जिसके लिए रजिस्ट्रीकरण अभिप्राप्त किया गया है (अन्यत्र कोई स्थिर स्थापन), ऐसे स्थिर स्थापन का अवस्थान;

(ग) जहां पूर्ति, एक से अधिक स्थापन पर की जाती है, चाहे वह कारबार का स्थान हो या स्थिर स्थापन, पूर्ति के प्रदान किए जाने के सम्बन्ध में सर्वाधिक प्रत्यक्ष स्थापन का अवस्थान; और

(घ) ऐसे स्थानों के अभाव में, पूर्तिकार के निवास के मामूली स्थान का अवस्थान।

(16) “गैर-कराधेय आनलाइन प्राप्तिकर्ता” से कोई ऐसी सरकार, ऐसा कोई स्थानीय प्राधिकारी, सरकारी प्राधिकरण, व्यक्ति या अन्य व्यक्ति अभिप्रेत है, जो रजिस्ट्रीकृत नहीं है और कराधेय राज्यक्षेत्र में अवस्थित वाणिज्य, उद्योग या किसी अन्य कारबार या वृत्ति से भिन्न किसी प्रयोजन के सम्बन्ध में आनलाइन सूचना और डाटाबेस पहुंच या सुधार सेवाओं को प्राप्त करता है।

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिए, “सरकारी प्राधिकरण” पद से,—

(i) संसद् या किसी राज्य विधान-मंडल के किसी अधिनियम द्वारा स्थापित; या

(ii) किसी सरकार द्वारा स्थापित,

कोई प्राधिकरण या कोई बोर्ड या कोई भी अन्य निकाय अभिप्रेत है, जिसके पास संविधान के 1[अनुच्छेद 243छ के अधीन पंचायत को या] अनुच्छेद 243ब के अधीन किसी नगरपालिका को सौंपे गए किसी कृत्य को कार्यान्वित करने के लिए साधारण शेरर या नियंत्रण के माध्यम से नब्बे प्रतिशत या उससे अधिक की भागीदारी है;

(17) “आनलाइन सूचना और डाटाबेस पहुंच या सुधार सेवाओं” से ऐसी सेवाएं अभिप्रेत हैं, जिनका परिदान इंटरनेट पर सूचना प्रौद्योगिकी या किसी इलेक्ट्रानिक नेटवर्क के माध्यम से किया जाता है और जिसकी प्रकृति उनकी पूर्ति को आवश्यक रूप से स्वचालित कर देती है और जिसमें न्यूनतम मानव मध्यक्षेप है और जिसे सूचना प्रौद्योगिकी के अभाव में सुनिश्चित करना असंभव है तथा जिसके अन्तर्गत ऐसी इलेक्ट्रानिक सेवाएं आती हैं, जैसे,—

- (i) इंटरनेट पर विज्ञापन देना;
- (ii) समूह सेवाएं प्रदान करना;
- (iii) दूरसंचार नेटवर्कों या इंटरनेट के माध्यम से ई-पुस्तकें, चलचित्र, संगीत, साफ्टवेयर और अन्य अमूर्त चीजें प्रदान करना;
- (iv) कम्प्यूटर नेटवर्क के माध्यम से किसी व्यक्ति को इलेक्ट्रानिक रूप में सुधार्य या अन्यथा डाटा या सूचना प्रदान करना;
- (v) डिजीटल अंतर्वस्तु (चलचित्र, दूरदर्शन कार्यक्रम, संगीत इत्यादि) की आनलाइन पूर्ति करना;
- (vi) डिजीटल डाटा भंडारण; और
- (vii) आनलाइन गेम खेलना;

(18) किसी कराधेय व्यक्ति के सम्बन्ध में “आउट पुट कर” से इस अधिनियम के अधीन प्रभार्य एकीकृत कर या उसके द्वारा अथवा उसके अभिकर्ता द्वारा माल या सेवाओं या दोनों की कराधेय पूर्ति अभिप्रेत है किन्तु इसके अन्तर्गत उसके द्वारा प्रतिलोम प्रभार आधार पर संदेय कर नहीं है;

(19) “विशेष आर्थिक जोन” का वही अर्थ होगा जो विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) की धारा 2 के खंड (यक) में है;

(20) “विशेष आर्थिक जोन विकासकर्ता” का वही अर्थ होगा जो विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) की धारा 2 के खंड (ज) में है और इसके अन्तर्गत उक्त अधिनियम की धारा 2 के खंड (घ) में यथा परिभाषित कोई प्राधिकरण और खंड (च) में यथा परिभाषित कोई सह-विकासकर्ता भी है;

(21) “पूर्ति” का वही अर्थ होगा जो केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 7 में है;

(22) “कराधेय राज्यक्षेत्र” से ऐसा राज्यक्षेत्र अभिप्रेत है, जिसको इस अधिनियम के उपबन्ध लागू होते हैं;

(23) “शून्य-दर पूर्ति” का वह अर्थ होगा जो धारा 16 में है;

(24) उन शब्दों और पदों के, जो इस अधिनियम में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किन्तु केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, माल और सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर) अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो उन अधिनियमों में हैं;

(25) इस अधिनियम में किसी ऐसी विधि, जो जम्मू-कश्मीर राज्य में प्रवृत्त नहीं है, के प्रतिनिर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह उस राज्य के सम्बन्ध में उस राज्य में प्रवृत्त तत्स्थानी विधि, यदि कोई हो, के प्रति निर्देश है।

अध्याय 2

प्रशासन

3. अधिकारियों की नियुक्ति—बोर्ड, इस अधिनियम के अधीन शक्तियों का प्रयोग करने के लिए ऐसे केन्द्रीय कर अधिकारियों को नियुक्त कर सकेगा, जो वह ठीक समझे।

4. राज्य कर या संघ राज्यक्षेत्र कर के अधिकारियों का कतिपय परिस्थितियों में समुचित अधिकारी के रूप में प्राधिकार—इस अधिनियम के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, राज्य माल और सेवा कर अधिनियम अथवा संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन नियुक्त अधिकारी, ऐसे अपवादों और शर्तों के अध्यधीन, जो सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करेगी, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए समुचित अधिकारी होने के लिए प्राधिकृत हैं।

¹ 2018 के अधिनियम सं० 32 की धारा 2 द्वारा “अनुच्छेद 243छ के अधीन पंचायत को या” शब्दों का अंतःस्थापित।

अध्याय 3

कर का उद्ग्रहण और संग्रहण

5. कर का उद्ग्रहण और संग्रहण—(1) उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 15 के अधीन अवधारित मूल्य पर मानव उपभोग के लिए मध्यसारिक पान की पूर्ति के सिवाय माल या सेवा या दोनों की समस्त अंतरराज्यिक पूर्तियों पर एकीकृत माल और सेवा कर नामक कर उद्ग्रहीत किया जाएगा और जो चालीस प्रतिशत से अनधिक की ऐसी दर पर होगा, जो परिषद् की सिफारिशों पर सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए और उसे ऐसी रीति में संगृहीत किया जाएगा, जो विहित की जाए और उसे कराधेय व्यक्ति द्वारा संदत्त किया जाएगा:

परन्तु भारत में आयतित माल पर एकीकृत कर सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 3 के उपबन्धों के अनुसार उक्त अधिनियम के अधीन यथा अवधारित मूल्य पर उस बिन्दु पर उद्ग्रहीत और संगृहीत किया जाएगा, जब सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 12 के अधीन उक्त माल पर सीमाशुल्क उद्ग्रहीत किया जाता है।

(2) अपरिष्कृत पेट्रोलियम, उच्च गति डीजल, मोटर स्प्रीट (सामान्यतया पेट्रोल के रूप में ज्ञात), प्राकृतिक गैस और विमानन टर्बाइन ईंधन की पूर्ति पर एकीकृत कर ऐसी तारीख से उद्ग्रहीत किया जाएगा, जो सरकार द्वारा परिषद् की सिफारिशों पर अधिसूचित की जाए।

(3) सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर अधिसूचना द्वारा माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति के ऐसे प्रवर्ग विनिर्दिष्ट कर सकेगी, जिस पर कर ऐसे माल या सेवाओं या दोनों के प्राप्तिकर्ता द्वारा प्रतिलोम प्रभार आधार पर संदत्त किया जाएगा और इस अधिनियम के सभी उपबन्ध ऐसे प्राप्तिकर्ता पर इस प्रकार लागू होंगे, मानो वह ऐसे माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति के सम्बन्ध में कर का संदाय करने के लिए दायी व्यक्ति हो।

¹[(4) सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा, ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के वर्ग को विनिर्दिष्ट कर सकेगी, जो अरजिस्ट्रीकृत पूर्तिकार से प्राप्त माल या सेवाओं या दोनों के विनिर्दिष्ट प्रवर्गों की पूर्ति की बाबत, माल या सेवाओं या दोनों की ऐसी पूर्ति के प्राप्तिकर्ता के रूप में प्रतिलोम प्रभार आधार पर कर का संदाय करेगा और इस अधिनियम के सभी उपबन्ध ऐसे प्राप्तिकर्ता को इस प्रकार लागू होंगे, मानो वह ऐसे माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति के सम्बन्ध में कर का संदाय करने के लिए दायी व्यक्ति हो।]

(5) सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा सेवाओं के प्रवर्ग, अंतरराज्यिक पूर्ति पर कर विनिर्दिष्ट कर सकेगी, जो इलेक्ट्रानिक वाणिज्य आपरेटर द्वारा संदत्त किया जाएगा, यदि ऐसी सेवा की पूर्ति उसके माध्यम से की जाती है और इस अधिनियम के सभी उपबन्ध ऐसे इलेक्ट्रानिक वाणिज्य आपरेटर पर इस प्रकार लागू होंगे, मानो वह ऐसी सेवाओं की पूर्ति के सम्बन्ध में कर का संदाय करने के लिए दायी पूर्तिकार हो:

परन्तु जहां कोई इलेक्ट्रानिक वाणिज्य आपरेटर कराधेय राज्यक्षेत्र में स्वयं उपस्थित नहीं है, वहां कराधेय राज्यक्षेत्र में किसी भी प्रयोजन के लिए ऐसे इलेक्ट्रानिक वाणिज्य आपरेटर का प्रतिनिधित्व करने वाला कोई भी व्यक्ति कर का संदाय करने के लिए दायी होगा:

परन्तु यह और कि जहां इलेक्ट्रानिक वाणिज्य आपरेटर कराधेय राज्यक्षेत्र में स्वयं उपस्थित नहीं है और उक्त राज्यक्षेत्र में उसका कोई प्रतिनिधि भी नहीं है, वहां ऐसा इलेक्ट्रानिक वाणिज्य आपरेटर कर का संदाय करने के प्रयोजन के लिए दायी होगा, कराधेय राज्यक्षेत्र में किसी व्यक्ति को नियुक्त करेगा और ऐसा व्यक्ति कर का संदाय करने के लिए दायी होगा।

6. कर से छूट प्रदान करने की शक्ति—(1) जहां सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है, वहां वह, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा, साधारणतया या तो आत्यंतिक रूप से या ऐसी शर्तों के अधीन, जो उसमें विनिर्दिष्ट की जाएं, किसी विनिर्दिष्ट प्रकार के माल या सेवा या दोनों को उस पर उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण कर या उसके भाग से, ऐसी तारीख से, जो ऐसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, छूट प्रदान कर सकेगी।

(2) जहां सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है, वहां वह, परिषद् की सिफारिशों पर प्रत्येक मामले पर विशेष आदेश द्वारा, उस आदेश में कथन की जाने वाली किन्हीं आपवादिक परिस्थितियों में किसी भी माल या सेवा या दोनों पर, जिस पर कर उद्ग्रहणीय है, कर के संदाय से छूट प्रदान कर सकेगी।

(3) सरकार, यदि उपधारा (1) के अधीन जारी किसी अधिसूचना या उपधारा (2) के अधीन जारी आदेश के क्षेत्र या लागू होने को स्पष्ट करने के प्रयोजन के लिए ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझती है, तो उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना के जारी किए जाने या उपधारा (2) के अधीन आदेश के एक वर्ष के भीतर किसी भी समय अधिसूचना द्वारा, यथास्थिति, ऐसी अधिसूचना या आदेश में कोई स्पष्टीकरण अंतःस्थापित कर सकेगी और ऐसा प्रत्येक स्पष्टीकरण इस प्रकार प्रभावी होगा, मानो वह सदैव, यथास्थिति, ऐसी पहली अधिसूचना या आदेश का भाग था।

¹ 2018 के अधिनियम सं० 32 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, जहां किसी माल या सेवा या दोनों की बाबत उस पर उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण कर या उसके भाग से आत्यंतिक रूप से छूट प्रदान की गई है, वहां ऐसे माल या सेवा या दोनों की पूर्ति करने वाला रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, माल या सेवा या दोनों की ऐसी पूर्ति पर प्रभावी दर से अधिक कर संगृहीत नहीं करेगा।

अध्याय 4

पूर्ति की प्रकृति का अवधारण

7. अंतरराज्यिक पूर्ति—(1) धारा 10 के उपबन्धों के अध्यधीन, जहां पूर्तिकार का अवस्थान और पूर्ति का स्थान—

- (क) दो भिन्न-भिन्न राज्यों में है;
- (ख) दो भिन्न-भिन्न संघ राज्यक्षेत्रों में है; या
- (ग) एक राज्य में और एक संघ राज्यक्षेत्र में है,

वहां माल की पूर्ति को अंतरराज्यिक व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम में माल की पूर्ति के रूप में समझा जाएगा।

(2) भारत के राज्यक्षेत्र में आयातित माल की पूर्ति को, जब तक वह भारत की सीमाशुल्क सदहद को पार करता है, अंतरराज्यिक व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम में माल की पूर्ति होना समझा जाएगा।

(3) धारा 12 के उपबन्धों के अध्यधीन, जहां पूर्तिकार का अवस्थान और पूर्ति का स्थान—

- (क) दो भिन्न-भिन्न राज्यों में है;
- (ख) दो भिन्न-भिन्न संघ राज्यक्षेत्रों में है; या
- (ग) एक राज्य में और एक संघ राज्यक्षेत्र में है,

वहां सेवाओं की पूर्ति को अंतरराज्यिक व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम में सेवाओं की पूर्ति के रूप में समझा जाएगा।

(4) भारत के राज्यक्षेत्र में आयातित सेवाओं की पूर्ति को अंतरराज्यिक व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम में सेवाओं की पूर्ति होना समझा जाएगा।

(5) माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति को—

- (क) जब पूर्तिकार भारत में अवस्थित है और पूर्ति का स्थान भारत के बाहर है;
- (ख) किसी विशेष आर्थिक जोन विकासकर्ता या किसी विशेष आर्थिक जोन इकाई को या उसके द्वारा है, या
- (ग) कराधेय राज्यक्षेत्र में है, जो कोई अंतरराज्यिक पूर्ति नहीं है और इस धारा में अन्यत्र समाविष्ट नहीं है,

अंतरराज्यिक व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम में माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति के रूप में समझा जाएगा।

8. राज्य के भीतर पूर्ति—(1) धारा 10 के उपबन्धों के अध्यधीन माल की पूर्ति को, जहां पूर्तिकार की अवस्थिति और माल की पूर्ति का स्थान उसी राज्य में या उसी संघराज्यक्षेत्र में है, राज्य के भीतर पूर्ति के रूप में समझा जाएगा:

परन्तु माल की निम्नलिखित पूर्ति को राज्य के भीतर पूर्ति के रूप में नहीं समझा जाएगा, अर्थात्:—

- (i) किसी विशेष आर्थिक जोन विकासकर्ता या किसी विशेष आर्थिक जोन इकाई को या उसके द्वारा माल की पूर्ति;
- (ii) भारत के राज्यक्षेत्र में आयातित माल, जब तक वह भारत की सीमाशुल्क सरहर को पार करता है;
- (iii) धारा 15 में निर्दिष्ट किसी पर्यटक को की गई पूर्तियां।

(2) धारा 12 के उपबन्धों के अध्यधीन, सेवाओं की पूर्ति को, जहां पूर्तिकार की अवस्थिति और सेवा की पूर्ति का स्थान उसी राज्य में या उसी संघ राज्यक्षेत्र में है, राज्य के भीतर पूर्ति के रूप में समझा जाएगा:

परन्तु सेवाओं की राज्य के भीतर पूर्ति के अन्तर्गत किसी आर्थिक जोन विकासकर्ता या किसी विशेष आर्थिक जोन इकाई को या उसके द्वारा सेवा की पूर्ति नहीं आएगी।

स्पष्टीकरण 1—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, जहां किसी व्यक्ति के पास,—

- (i) भारत में कोई स्थापन है और भारत से बाहर कोई अन्य स्थापन है;
- (ii) किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में कोई स्थापन है और उस राज्य के बाहर कोई अन्य स्थापन है;

(iii) किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में कोई स्थापन है और कोई अन्य स्थापन, ^{1***} उस राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के भीतर रजिस्ट्रीकृत है,

तो ऐसे स्थापनों को विभिन्न व्यक्तियों के स्थापनों के रूप में समझा जाएगा।

स्पष्टीकरण 2—किसी राज्यक्षेत्र में किसी शाखा या किसी अभिकरण या किसी प्रतिनिधि कार्यालय के माध्यम से कारबार चलाने वाले व्यक्ति को उस राज्यक्षेत्र में स्थापन रखने वाले के रूप में समझा जाएगा।

9. राज्यक्षेत्रीय सागर खंड में पूर्तियां—इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी,—

- (क) जहां पूर्तिकार की अवस्थिति राज्यक्षेत्रीय सागर खंड में है, वहां ऐसे पूर्तिकार की अवस्थिति को; या
- (ख) जहां पूर्ति का स्थान राज्यक्षेत्रीय सागर खंड में है, वहां ऐसी पूर्ति के स्थान को,

इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, उस तटीय राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में समझा जाएगा, जहां समुचित आधार रेखा का निकटतम बिन्दु अवस्थित है।

अध्याय 5

माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति का स्थान

10. भारत में आयातित या भारत से निर्यातित माल की पूर्ति से भिन्न माल की पूर्ति का स्थान—(1) भारत में आयातित या भारत से निर्यातित माल की पूर्ति से भिन्न माल की पूर्ति का स्थान निम्नलिखित रूप में होगा:—

(क) जहां पूर्ति में माल का संचलन अंतर्वलित है, चाहे वह पूर्तिकार द्वारा या प्राप्तिकर्ता द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा हो, ऐसे माल की पूर्ति का स्थान उस समय माल का अवस्थान होगा, जब माल का संचलन, प्राप्तिकर्ता को परिदान के लिए समाप्त होता है;

(ख) जहां माल का परिदान, पूर्तिकार द्वारा किसी प्राप्तिकर्ता या किसी अन्य व्यक्ति को किसी तीसरे व्यक्ति के निदेश पर, चाहे वह अभिकर्ता के रूप में या अन्यथा कार्य कर रहा हो, माल के संचलन से पहले या उसके दौरान या तो माल के हक के दस्तावेज के अंतरण के रूप में या अन्यथा किया जाता है, वहां यह समझा जाएगा कि उक्त तीसरे व्यक्ति ने माल प्राप्त किया है और ऐसे माल की पूर्ति का स्थान ऐसे व्यक्ति के कारबार का मूल स्थान होगा;

(ग) जहां पूर्ति में माल का संचलन अंतर्वलित नहीं है, चाहे वह पूर्तिकार द्वारा हो या प्राप्तिकर्ता द्वारा, वहां पूर्ति का स्थान प्राप्तिकर्ता को परिदान के समय ऐसे माल का अवस्थान होगा;

(घ) जहां माल का समंजन या संस्थापन किसी स्थल पर किया जाता है, वहां पूर्ति का स्थान ऐसे संस्थापन या समंजन का स्थान होगा;

(ङ) जहां माल की पूर्ति किसी वाहन के फलक पर की जाती है, जिसके अन्तर्गत कोई जलयान, कोई वायुयान, कोई ट्रेन या कोई मोटरयान भी है, वहां पूर्ति का स्थान वह अवस्थान होगा, जिस पर ऐसा माल फलक पर लिया जाता है।

(2) जहां माल की पूर्ति के स्थान का अवधारण नहीं किया जा सकता, वहां पूर्ति का स्थान ऐसी रीति में अवधारित किया जाएगा, जो विहित की जाए।

11. भारत में आयातित या भारत से निर्यातित माल की पूर्ति का स्थान—माल की पूर्ति का स्थान—

- (क) भारत में आयातित है, तो आयातकर्ता का अवस्थान होगा;
- (ख) भारत से निर्यातित है, तो भारत के बाहर का अवस्थान होगा।

12. सेवाओं की पूर्ति का स्थान, जहां पूर्तिकार और प्राप्तिकर्ता का अवस्थान भारत में है—(1) इस धारा के उपबन्ध सेवाओं की पूर्ति के स्थान को अवधारित करने के लिए वहां लागू होंगे, जहां सेवाओं की पूर्तिकार का अवस्थान और सेवाओं के प्राप्तिकर्ता का अवस्थान भारत में है।

(2) उपधारा (3) से उपधारा (14) में विनिर्दिष्ट सेवाओं के सिवाय सेवाओं की पूर्ति का स्थान,—

- (क) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को की गई है, तो ऐसे व्यक्ति का अवस्थान होगा;
- (ख) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से भिन्न किसी भी व्यक्ति को की गई है तो,—
 - (i) प्राप्तिकर्ता का अवस्थान होगा, जहां अभिलेख पर पता विद्यमान है; और
 - (ii) अन्य मामलों में सेवाओं की पूर्तिकार का अवस्थान होगा।

¹ 2018 के अधिनियम सं० 32 की धारा 4 द्वारा “जो कारबार शीर्ष है,” शब्दों का लोप किया गया।

(3) सेवाओं की पूर्ति का स्थान,—

(क) किसी स्थावर सम्पत्ति के सम्बन्ध में प्रत्यक्षतः जिसके अन्तर्गत वास्तुविद, आंतरिक सज्जाकार, सर्वेक्षक, इंजीनियर और अन्य सम्बन्धित विशेषज्ञ या सम्पदा अभिकर्ता द्वारा प्रदान की गई सेवाएं भी हैं, स्थावर सम्पत्ति के उपयोग का अधिकार प्रदान करने के रूप में दी गई या सन्निर्माण कार्य को करने या उसे समन्वित करने के लिए किसी सेवा का स्थान; या

(ख) किसी होटल, सराय, अतिथि-गृह, गृह-निवास, क्लब या शिविर स्थान द्वारा चाहे जिस नाम से ज्ञात हो, जिसके अन्तर्गत हाउस बोट या कोई अन्य जलयान भी है, वास-सुविधा के रूप में सेवाओं की पूर्ति का स्थान; या

(ग) कोई विवाह या स्वागत समारोह या उससे सम्बन्धित मामलों को आयोजित करने के लिए, शासकीय, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक या कारवार समारोह, जिसके अन्तर्गत ऐसी सम्पत्ति पर ऐसे समारोह के सम्बन्ध में दी गई सेवाएं भी हैं, के लिए किसी स्थावर सम्पत्ति में वास-सुविधा के रूप में सेवाओं की पूर्ति का स्थान; या

(घ) खंड (क), खंड (ख) और खंड (ग) में निर्दिष्ट सेवाओं की अनुषंगी किन्हीं सेवाओं की पूर्ति का स्थान,

वह अवस्थान होगा, जिस पर, यथास्थिति, स्थावर सम्पत्ति या नौका या जलयान अवस्थित है या अवस्थित होना आशयित है:

परन्तु यदि स्थावर सम्पत्ति या नौका या जलयान का अवस्थान भारत से बाहर अवस्थित है या अवस्थित होना आशयित है, तो पूर्ति का स्थान प्राप्तिकर्ता का अवस्थान होगा।

स्पष्टीकरण—जहां स्थावर सम्पत्ति या नौका या जलयान एक से अधिक राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में अवस्थित है, वहां सेवाओं की पूर्ति को प्रत्येक क्रमिक राज्य या संघ राज्यक्षेत्रों में इस बाबत की गई संविदा या करार के निबंधनानुसार सेवाओं के लिए पृथक्तः संगृहीत या अवधारित मूल्य के अनुपात में किया गया समझा जाएगा या ऐसी संविदा या करार के अभाव में ऐसे अन्य आधार पर किया गया समझा जाएगा, जो विहित किया जाए।

(4) रेस्तरां और खानपान सेवाओं, व्यक्तिगत श्रृंगार, स्वस्थता, सौन्दर्य उपचार, स्वास्थ्य सेवा, जिसके अन्तर्गत प्रसाधन सामग्री और प्लास्टिक शल्यक्रिया भी है, की पूर्ति का स्थान वह अवस्थान होगा, जहां सेवाएं वास्तविक रूप से दी जाती हैं।

(5) प्रशिक्षण और कार्य-निष्पादन के मूल्यांकन से सम्बन्धित सेवाओं की पूर्ति का स्थान,—

(क) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को ऐसे व्यक्ति का अवस्थान होगा।

(ख) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से भिन्न किसी व्यक्ति को प्रशिक्षण और कार्य-निष्पादन के मूल्यांकन से सम्बन्धित सेवाओं की पूर्ति का स्थान वह अवस्थान होगा, जहां सेवाएं वास्तविक रूप से दी जाती हैं।

(6) किसी सांस्कृतिक, कलात्मक, खेलकूद, वैज्ञानिक, शैक्षणिक, मनोरंजन समारोह या आमोद-प्रमोद बाड़ा या किसी अन्य स्थान में प्रवेश के रूप में दी गई सेवाओं और उसकी सहायक सेवाओं की पूर्ति का स्थान, वह स्थान होगा, जहां वास्तविक रूप से समारोह आयोजित किया जाता है या जहां पर बाड़ा या ऐसा अन्य स्थान अवस्थित है।

(7) निम्नलिखित के रूप में दी गई सेवाओं की पूर्ति का स्थान,—

(क) किसी सांस्कृतिक, कलात्मक, खेलकूद, वैज्ञानिक, शैक्षणिक या मनोरंजन समारोह के आयोजन जिसके अन्तर्गत किसी सम्मेलन, मेला, प्रदर्शनी, अनुष्ठान या इसी प्रकार के समारोहों के सम्बन्ध में सेवाओं की पूर्ति भी है, ऐसे व्यक्ति का अवस्थान होगा; या

(ख) किसी समारोह को आयोजित करने के लिए अनुषंगी सेवाएं या खंड (क) में निर्दिष्ट सेवाएं या ऐसे समारोहों के प्रयोजन का समनुदेशन,—

(i) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को किया जाता है तो ऐसे व्यक्ति का अवस्थान होगा;

(ii) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से भिन्न किसी व्यक्ति को किया जाता है तो वह स्थान होगा, जहां समारोह वास्तविक रूप से आयोजित किया जाता है और यदि समारोह भारत के बाहर आयोजित किया जाता है, तो पूर्ति का स्थान प्राप्तिकर्ता का अवस्थान होगा।

स्पष्टीकरण—जहां समारोह एक से अधिक राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में आयोजित किया जाता है और ऐसे समारोह से सम्बन्धित सेवाओं की पूर्ति के लिए संचित रकम प्रभारित की जाती है तो ऐसी सेवाओं के स्थान को इस बाबत की गई संविदा या करार के निबंधनानुसार सेवाओं के लिए पृथक्तः संगृहीत या अवधारित मूल्य के अनुपात में प्रत्येक क्रमिक राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में होने के रूप में लिया जाएगा।

(8) निम्नलिखित को माल के परिवहन, जिसके अन्तर्गत मेल या कुरिअर द्वारा भी आते हैं, के रूप में सेवाओं की पूर्ति का स्थान,—

(क) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को ऐसे व्यक्ति का अवस्थान होगा;

(ख) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से भिन्न व्यक्ति को माल के परिवहन, जिसके अन्तर्गत मेल या कुरिअर द्वारा भी आते हैं, के रूप में सेवाओं की पूर्ति का स्थान वह अवस्थान होगा, जिस पर ऐसा माल उसके परिवहन के लिए सौंपा जाता है :

[परन्तु यह कि जहां माल का परिवहन भारत से बाहर किसी स्थान के लिए होता है, वहां पूर्ति का स्थान, ऐसे माल के गंतव्य का स्थान होगा।]

(9) यात्री परिवहन सेवा की पूर्ति का स्थान,—

(क) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को ऐसे व्यक्ति का अवस्थान होगा;

(ख) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से भिन्न व्यक्ति को यात्री परिवहन सेवा की पूर्ति का स्थान, वह स्थान होगा, जहां यात्री निरंतर यात्रा के लिए वाहन पर चढ़ता है:

परन्तु जहां मार्गाधिकार किसी भावी उपयोग के लिए दिया गया है और चढ़ने का बिन्दु मार्गाधिकार जारी करने के समय ज्ञात नहीं है तो ऐसी सेवा की पूर्ति का स्थान उपधारा (2) के उपबन्धों के अनुसार अवधारित किया जाएगा।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, वापसी यात्रा को एक पृथक् यात्रा के रूप में समझा जाएगा, चाहे आगे की और वापसी यात्रा का मार्गाधिकार एक ही समय जारी किया गया हो।

(10) किसी वाहन के फलक पर, जिसके अन्तर्गत कोई जलयान, कोई वायुयान, कोई ट्रेन या कोई मोटर यान भी है, सेवा की पूर्ति का स्थान यात्रा के लिए उस वाहन के प्रस्थान के पहले अनुसूचित बिन्दु का अवस्थान होगा।

(11) किसी व्यक्ति को दूरसंचार सेवाओं की, जिसके अन्तर्गत डाटा ट्रांसफर, प्रसारण, केबल और डायरेक्ट टू होम दूरदर्शन सेवा भी है, पूर्ति का स्थान—

(क) स्थिर दूरसंचार लाइन, लीज्ड सर्किट, इंटरनेट लीज्ड सर्किट, केबल या डिश एन्टिना के रूप में सेवाओं की दशा में वह अवस्थान होगा, जहां दूरसंचार लाइन, लीज्ड सर्किट या केबल कनेक्शन या डिश एन्टिना सेवाओं की प्राप्ति के लिए संस्थापित किया जाता है;

(ख) पश्च संदाय आधार प्रदान की गई दूरसंचार और इंटरनेट सेवाओं के लिए मोबाइल कनेक्शन की दशा में सेवाओं के पूर्तिकर्ता के अभिलेख पर सेवाओं के प्राप्तिकर्ता के बिलिंग पते का स्थान होगा;

(ग) उन मामलों में, जहां दूरसंचार के लिए मोबाइल कनेक्शन, इंटरनेट सेवा और डायरेक्ट टू होम दूरदर्शन सेवाएं, किसी वाउचर या किसी अन्य साधन के माध्यम से पूर्व संदाय आधार पर,—

(i) किसी विक्रय अभिकर्ता या किसी पुनः विक्रेता या सब्सक्राइबर आईडेंटिटी मोड्युल कार्ड या रिचार्ज वाउचर के वितरक के माध्यम से प्रदान की जाती है, वहां पूर्ति के समय पूर्तिकर्ता के अभिलेख के अनुसार विक्रय अभिकर्ता या पुनः विक्रेता या वितरक के पते का स्थान होगा;

(ii) अंतिम सब्सक्राइबर को किसी व्यक्ति द्वारा प्रदान की जाती है वहां वह अवस्थान होगा, जहां ऐसा पूर्व संदाय प्राप्त किया गया है या ऐसे वाउचर बेचे गए हैं;

(घ) अन्य दशाओं में, सेवाओं के पूर्तिकार के अभिलेख के अनुसार प्राप्तिकर्ता का पता होगा और जहां ऐसा पता उपलब्ध नहीं है, वहां सेवाओं के पूर्तिकार का अवस्थान पूर्ति का स्थान होगा:

परन्तु जहां सेवाओं के पूर्तिकार के अभिलेख के अनुसार प्राप्तिकर्ता का पता उपलब्ध नहीं है, वहां सेवाओं के पूर्तिकार का अवस्थान पूर्ति का स्थान होगा:

परन्तु यह और कि यदि इंटरनेट बैंकिंग या संदाय के अन्य इलेक्ट्रॉनिक पद्धति के माध्यम से ऐसी पूर्व संदाय सेवा प्राप्त की जाती है या रिचार्ज किया जाता है, तो सेवाओं के पूर्तिकार के अभिलेख में सेवाओं के प्राप्तिकर्ता का अवस्थान ऐसी सेवाओं की पूर्ति का स्थान होगा।

स्पष्टीकरण—जहां लीज्ड सर्किट को एक से अधिक राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में संस्थापित किया गया और ऐसी सर्किट के सम्बन्ध में सेवाओं की पूर्ति के लिए संचित रकम प्रभारित की जाती है, वहां ऐसी सेवाओं की पूर्ति के स्थान को इस बाबत की गई संविदा या करार के निबंधनानुसार सेवाओं के लिए पृथक्: संगृहीत या अवधारित मूल्य के अनुपात में प्रत्येक क्रमिक राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में होने के रूप में, या ऐसी संविदा या करार के अभाव में ऐसे अन्य आधार पर, जो विहित किया जाए, लिया जाएगा।

(12) बैंकारी और अन्य वित्तीय सेवाओं की पूर्ति का स्थान, जिसके अन्तर्गत किसी व्यक्ति को स्टाक ब्रोकिंग सेवाएं भी हैं, सेवाओं के पूर्तिकार के अभिलेख में सेवाओं के प्राप्तिकर्ता का अवस्थान होगा:

¹ 2018 के अधिनियम सं० 32 की धारा 5 द्वारा अंतःस्थापित।

परन्तु यदि सेवाओं के प्राप्तिकर्ता का अवस्थान पूर्तिकार के अभिलेख में नहीं है, तो पूर्ति का स्थान पूर्तिकार का स्थान होगा।

(13) बीमा सेवाओं की,—

(क) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को पूर्ति का स्थान ऐसे व्यक्ति का अवस्थान होगा;

(ख) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से भिन्न किसी व्यक्ति को पूर्ति का स्थान सेवाओं के पूर्तिकार के अभिलेख में सेवाओं के प्राप्तिकर्ता का अवस्थान होगा।

(14) केन्द्रीय सरकार, किसी राज्य सरकार, किसी कानूनी निकाय या किसी स्थानीय प्राधिकरण को संविदा या करार में परिलक्षित राज्यों या संघ राज्यक्षेत्रों के लिए आशयित विज्ञापन सेवाओं की पूर्ति के स्थान को ऐसे प्रत्येक राज्य या संघ राज्यक्षेत्र होने के रूप में लिया जाएगा और प्रत्येक राज्य या संघ राज्यक्षेत्र को ऐसी विनिर्दिष्ट पूर्ति का मूल्य इस बाबत की गई संविदा या करार के निबंधनानुसार यथा अवधारित क्रमिक राज्यों या संघ राज्यक्षेत्रों में प्रसार के रूप में दी गई सेवाओं के कारण दी गई रकम के अनुपात में होगा या ऐसे संविदा या करार के अभाव में ऐसे अन्य आधार पर, जो विहित किया जाए, होगा।

13. सेवाओं को पूर्ति का स्थान, जहां पूर्तिकार का अवस्थान या प्राप्तिकर्ता का अवस्थान भारत से बाहर है—(1) इस धारा के उपबन्ध सेवाओं की पूर्ति का स्थान अवधारित करने के लिए वहां लागू होंगे, जहां सेवाओं के पूर्तिकार का अवस्थान या सेवाओं के प्राप्तिकर्ता का स्थान भारत से बाहर है।

(2) उपधारा (3) से उपधारा (13) में विनिर्दिष्ट सेवाओं के सिवाय सेवाओं की पूर्ति का स्थान सेवाओं के प्राप्तिकर्ता का अवस्थान होगा:

परन्तु जहां सेवाओं के प्राप्तिकर्ता का अवस्थान कारबार के सामान्य अनुक्रम में उपलब्ध नहीं है, वहां पूर्ति का स्थान सेवाओं के पूर्तिकार का अवस्थान होगा।

(3) निम्नलिखित सेवाओं की पूर्ति का स्थान वह अवस्थान होगा, जहां वास्तविक रूप से सेवाएं प्रदान की जाती हैं, अर्थात्:—

(क) ऐसे माल की बाबत पूर्ति की गई सेवाएं, जिनमें सेवाओं के प्राप्तिकर्ता द्वारा सेवाएं प्रदान किए जाने के लिए, सेवाओं के पूर्तिकार या सेवाओं के पूर्तिकार की ओर से कार्य करने वाले किसी व्यक्ति के पास वस्तुतः उपलब्ध होना अपेक्षित है:

परन्तु जब ऐसी सेवाएं इलेक्ट्रॉनिक साधनों के रूप में दूरस्थ अवस्थान से प्रदान की जाती हैं, तब पूर्ति का स्थान वह अवस्थान होगा, जहां माल सेवा की पूर्ति के समय स्थित है:

।[परन्तु यह और कि इस खंड में अन्तर्विष्ट कोई बात ऐसे माल की बाबत पूर्ति की गई सेवाओं की दशा में लागू नहीं होगी जो भारत में मरम्मत के लिए या किसी अन्य अभिक्रियाया प्रसंस्करण के लिए अस्थायी रूप से आयात की गई है और ऐसी मरम्मत या अभिक्रिया या प्रसंस्करण के पश्चात्, जो ऐसी मरम्मत या अभिक्रिया या प्रसंस्करण के लिए, अपेक्षित है उससे भिन्न, भारत में किसी उपयोग में लाए बिना अभिक्रिया या प्रसंस्करण के लिए निर्यात कर दी जाती है।]

(ख) किसी व्यक्ति को पूर्ति की गई सेवाएं, जो या तो सेवाओं के प्राप्तिकर्ता के रूप में या प्राप्तिकर्ता की ओर से कार्य करने वाले व्यक्ति के रूप में प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें सेवाओं की पूर्ति के लिए पूर्तिकर्ता के साथ प्राप्तिकर्ता या उसकी ओर से कार्य करने वाले व्यक्ति की वस्तुतः उपस्थिति अपेक्षित है।

(4) किसी स्थावर सम्पत्ति के सम्बन्ध में पूर्ति, जिसके अन्तर्गत विशेषज्ञों और सम्पदा अभिकर्ताओं द्वारा इस सम्बन्ध में पूर्ति की गई सेवाएं भी हैं, किसी होटल, सराय, अतिथि-गृह, क्लब या शिविर स्थल, जिस भी नाम से ज्ञात हो, में वास-सुविधा की पूर्ति, स्थावर सम्पत्ति के उपयोग के अधिकार को प्रदान किए जाने का, सन्निर्माण कार्य, जिसके अन्तर्गत वास्तुविद या आंतरिक सज्जाकार भी है, को कार्यान्वित करने या उसका समन्वय करने के लिए सेवाओं की पूर्ति के सम्बन्ध में प्रत्यक्षतः पूर्ति की गई सेवाओं की पूर्ति का स्थान वह अवस्थान होगा, जहां स्थावर सम्पत्ति अवस्थित है या अवस्थित होनी आशयित है।

(5) किसी सांस्कृतिक, कलात्मक, खेलकूद, वैज्ञानिक, शैक्षणिक या मनोरंजन समारोह या अनुष्ठान या सम्मेलन, मेला, प्रदर्शनी या उसी प्रकार के समारोहों में प्रवेश के रूप में पूर्ति की गई सेवाओं और ऐसे प्रवेश या संगठन की सहायक सेवाओं की पूर्ति का स्थान, वह स्थान होगा, जहां वास्तविक रूप से समारोह आयोजित किया जाता है।

(6) जहां उपधारा (3), उपधारा (4) और उपधारा (5) में निर्दिष्ट किन्हीं सेवाओं की पूर्ति एक से अधिक अवस्थानों पर की जाती है, जिसके अन्तर्गत कराधेय राज्यक्षेत्र में अवस्थान भी है, उनकी पूर्ति का स्थान, कराधेय राज्यक्षेत्र में अवस्थान होगा।

(7) जहां उपधारा (3), उपधारा (4) और उपधारा (5) में निर्दिष्ट सेवाओं की पूर्ति एक से अधिक राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में की जाती है, वहां ऐसी सेवाओं की पूर्ति के स्थान को ऐसे प्रत्येक राज्य या संघ राज्यक्षेत्र होने के रूप में लिया जाएगा और प्रत्येक राज्य या संघ राज्यक्षेत्र को ऐसी विनिर्दिष्ट पूर्ति का मूल्य इस बाबत की गई संविदा या करार के निबंधनानुसार सेवाओं के लिए पृथक्: संगृहीत

¹ 2018 के अधिनियम सं० 32 की धारा 6 द्वारा प्रतिस्थापित।

या अवधारित मूल्य के अनुपात में प्रत्येक क्रमिक राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में होने के रूप में, या ऐसी संविदा या करार के अभाव में ऐसे अन्य आधार पर, जो विहित किया जाए, लिया जाएगा।

(8) निम्नलिखित सेवाओं की पूर्ति का स्थान सेवाओं के पूर्तिकार का अवस्थान होगा, अर्थात्:—

(क) किसी बैंककारी कम्पनी या किसी वित्तीय संस्था या किसी गैर-बैंककारी वित्तीय कम्पनी द्वारा खाता धारकों को पूर्ति की गई सेवाएं;

(ख) मध्यवर्ती सेवाएं;

(ग) ऐसी सेवाएं, जिसमें परिवहन के साधनों को एक मास की अवधि तक के लिए किराए पर लेना सम्मिलित है, जिसके अन्तर्गत नौका भी है, किन्तु जिसके अन्तर्गत वायुयान और जलयान नहीं है।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) “खाता” पद से जमाकर्ता को ब्याज देने वाला कोई खाता अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत कोई अनिवासी विदेशी खाता और कई अनिवासी साधारण खाता भी है;

(ख) “बैंककारी कंपनी” पद का वही अर्थ होगा, जो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 45क के खंड (क) में है;

(ग) “वित्तीय संस्था” पद का वही अर्थ होगा, जो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 51अ के खंड (ग) में है;

(घ) “गैर-बैंककारी वित्तीय कम्पनी” पद से निम्नलिखित अभिप्रेत है:—

(i) कोई वित्तीय संस्था, जो कोई कम्पनी है;

(ii) कोई गैर-बैंककारी संस्था, जो कोई कम्पनी है और जिसका मुख्य कारबार, किसी स्कीम या ठहराव या किसी अन्य रीति के अधीन निक्षेप प्राप्त करना या किसी रीति में उधार देना है; या

(iii) ऐसी अन्य गैर-बैंककारी संस्था या ऐसी संस्थाओं का वर्ग, जो भारतीय रिजर्व बैंक, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे।

(9) मेल या कुरियर के रूप में माल के परिवहन से भिन्न माल के परिवहन की सेवाओं की पूर्ति का स्थान ऐसे माल का गंतव्य स्थान होगा।

(10) यात्री परिवहन सेवाओं की बाबत पूर्ति का स्थान, वह स्थान होगा, जहां यात्री निरंतर यात्रा के लिए वाहन पर चढ़ता है।

(11) किसी यात्री परिवहन प्रचालन के प्रक्रम के दौरान वाहन के फलक पर प्रदान की गई सेवाओं की पूर्ति का स्थान, जिसके अन्तर्गत फलक पर रहते हुए पूर्णतः या सारतः उपभोग किए जाने के आशयित सेवाएं भी हैं, यात्रा के लिए उस वाहन के प्रस्थान का प्रथम अनुसूचित बिन्दु होगा।

(12) आनलाइन सूचना और डाटाबेस पहुंच या सुधार सेवाओं की पूर्ति का स्थान सेवाओं के प्राप्तिकर्ता का अवस्थान होगा।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, ऐसी सेवाओं को प्राप्त करने वाला व्यक्ति कराधेय राज्यक्षेत्र से अवस्थित होना समझा जाएगा यदि निम्नलिखित में से कोई दो गैर-विरोधात्मक शर्तों को पूरा किया जाता है, अर्थात्:—

(क) इंटरनेट के माध्यम से सेवाओं के प्राप्तिकर्ता द्वारा प्रस्तुत किए गए पते का अवस्थान कराधेय राज्यक्षेत्र में है;

(ख) क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड या स्टोर वैल्यू कार्ड या चार्ज कार्ड या स्मार्ट कार्ड या कोई अन्य कार्ड, जिसके द्वारा सेवाओं का प्राप्तिकर्ता संदाय का परिनिर्धारण करता है, कराधेय राज्यक्षेत्र में जारी किया गया है;

(ग) सेवाओं के प्राप्तिकर्ता का बिलिंग पता कराधेय राज्यक्षेत्र में है;

(घ) सेवाओं के प्राप्तिकर्ता द्वारा प्रयोग किए गए यंत्र का इंटरनेट प्रोटोकाल पता कराधेय राज्यक्षेत्र में है;

(ङ) सेवाओं के प्राप्तिकर्ता का बैंक, जिसमें वह संदाय के लिए प्रयोग किया गया खाता रखता है, कराधेय राज्यक्षेत्र में है;

(च) सेवाओं के प्राप्तिकर्ता द्वारा प्रयोग किया गया सब्सक्राइबर आईडेंटिटी माज्यूल कार्ड का कंट्री कोड कराधेय राज्यक्षेत्र में है;

(छ) उस स्थिर लैंड लाइन का अवस्थान, जिसके माध्यम से प्राप्तिकर्ता द्वारा सेवा प्राप्त की जाती है, कराधेय राज्यक्षेत्र में है।

(13) किसी सेवा की पूर्ति के दोहरे कराधान या गैर-कराधान के निवारण के लिए या नियमों के एकरूपता से लागू होने के लिए सरकार को सेवाओं के किसी प्रकार को या परिस्थितियों को अधिसूचित करने की शक्ति होगी, जिसमें पूर्ति का स्थान सेवा के प्रभावी उपयोग और सेवा के उपभोग का स्थान होगा।

14. पूर्तिकार द्वारा आनलाइन सूचना और डाटाबेस पहुंच या सुधार सेवाओं के कर का संदाय करने का विशेष उपबन्ध—(1) किसी गैर-कराधेय राज्यक्षेत्र में अवस्थित किसी व्यक्ति द्वारा आनलाइन सूचना और डाटाबेस पहुंच या सुधार सेवाओं की पूर्ति पर और जो गैर-कराधेय आनलाइन प्राप्तिकर्ता द्वारा प्राप्त की जाती है, किसी गैर-कराधेय राज्यक्षेत्र में अवस्थित सेवाओं का पूर्तिकार वह व्यक्ति होगा, जो सेवाओं की ऐसी पूर्ति पर एकीकृत कर के संदाय के लिए दायी होगा:

परन्तु गैर-कराधेय राज्यक्षेत्र में अवस्थित किसी व्यक्ति द्वारा आनलाइन सूचना और डाटाबेस पहुंच या सुधार सेवाओं की पूर्ति और जो गैर-कराधेय आनलाइन प्राप्तिकर्ता द्वारा प्राप्त की जाती है, की दशा में गैर-कराधेय राज्यक्षेत्र में अवस्थित ऐसे मध्यवर्ती को, जो ऐसी सेवाओं की पूर्ति का प्रबन्ध करता है या उसको सुकर बनाता है, गैर-कराधेय राज्यक्षेत्र में सेवाओं के पूर्तिकार और गैर-कराधेय आनलाइन प्राप्तिकर्ता को ऐसी सेवाओं की पूर्ति करने से ऐसी सेवाओं को प्राप्तिकर्ता समझा जाएगा सिवाय जब ऐसा मध्यवर्ती निम्नलिखित शर्तों को पूरा करता है, अर्थात्:—

(क) पूर्ति में भाग लेने वाले ऐसे मध्यवर्ती द्वारा बीजक, ग्राहक के बिल या जारी या उपलब्ध कराई गई रसीद में प्रश्नगत सेवा और उसके पूर्तिकार को गैर-कराधेय राज्यक्षेत्र में स्पष्टतः परिलक्षित किया गया है;

(ख) पूर्ति में सम्मिलित मध्यवर्ती ग्राहक के प्रभार को प्राधिकृत नहीं करता है या उसके प्रभार में भाग नहीं लेता है, जो मध्यवर्ती न तो किसी भी रीति में संदाय को संगृहीत करता है या उस पर कार्रवाई करता है, न ही गैर-कराधेय आनलाइन प्राप्तिकर्ता और ऐसी पूर्ति के पूर्तिकार के बीच संदाय के लिए उत्तरदायी है;

(ग) पूर्ति में सम्मिलित मध्यवर्ती परिदान को प्राधिकृत नहीं करता है, और

(घ) पूर्ति के साधारण निबंधन और शर्तों, पूर्ति में सम्मिलित मध्यवर्ती द्वारा नहीं बल्कि सेवाओं के पूर्तिकार द्वारा निश्चित की जाती हैं।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट आनलाइन सूचना और डाटाबेस पहुंच या सुधार सेवाओं का पूर्तिकार एकीकृत कर के संदाय के लिए सरकार द्वारा अधिसूचित की जाने वाली सरलीकृत रजिस्ट्रीकरण स्कीम के अधीन एकल रजिस्ट्रीकरण लेता है:

परन्तु कराधेय राज्यक्षेत्र में किसी प्रयोजन के लिए ऐसे पूर्तिकार का प्रतिनिधित्व करने वाला कराधेय राज्यक्षेत्र में अवस्थित कोई भी व्यक्ति स्वयं को रजिस्ट्रीकृत कराएगा और पूर्तिकार की ओर से एकीकृत कर का संदाय करेगा:

परन्तु यह और कि यदि ऐसा पूर्तिकार कराधेय राज्यक्षेत्र में वस्तुतः उपस्थित नहीं है या किसी प्रयोजन के लिए कोई प्रतिनिधि नहीं रखता है, तो वह एकीकृत कर का संदाय करने के प्रयोजन के लिए कराधेय राज्यक्षेत्र में किसी व्यक्ति को नियुक्त कर सकेगा और ऐसा व्यक्ति ऐसे कर के संदाय के लिए दायी होगा।

अध्याय 6

अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक को एकीकृत कर का प्रतिदाय

15. भारत छोड़ने वाले पर्यटक को माल की पूर्ति पर संदत्त एकीकृत कर का प्रतिदाय— भारत छोड़ने वाले पर्यटक द्वारा भारत के बाहर उसके द्वारा ले जाए गए माल की किसी पूर्ति पर संदत्त एकीकृत कर का प्रतिदाय, ऐसी रीति में और ऐसी शर्तों और रक्षोपायों के अध्याधीन, जो विहित किए जाएं, किया जाएगा।

स्पष्टीकरण— इस धारा के प्रयोजनों के लिए, “पर्यटक” पद से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो भारत में सामान्यतः निवासी नहीं है, जो विधि सम्मत् गैर-अप्रवास प्रयोजनों के लिए छह मास से अनधिक रुकने के लिए भारत में प्रवेश करता है।

अध्याय 7

शून्य दर पूर्ति

16. शून्य दर पूर्ति—(1) “शून्य दर पूर्ति” से माल या सेवाओं या दोनों की निम्नलिखित कराधेय पूर्तियां अभिप्रेत हैं, अर्थात्:—

(क) माल या सेवा या दोनों का निर्यात; या

(ख) किसी विशेष आर्थिक जोन विकासकर्ता या किसी विशेष आर्थिक जोन इकाई को [प्राधिकृत संक्रियाओं के लिए] माल या सेवाएं या दोनों की पूर्ति।

(2) केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (5) के उपबन्धों के अध्याधीन शून्य दर पूर्तियां करने के लिए इनपुट कर का प्रत्यय इस बात के होते हुए भी प्राप्त किया जा सकेगा कि ऐसी पूर्ति कोई छूट प्राप्त पूर्ति हो सकेगी।

¹ 2021 के अधिनियम सं० 13 की धारा 123 द्वारा “प्राधिकृत संक्रियाओं के लिए” शब्दों का अंतःस्थापित।

1[(3) ऐसा कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जो शून्य दर पूर्ति करता है, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 54 या तद्वीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार, ऐसी शर्तों, सुरक्षोपायों और प्रक्रिया के अधीन रहते हुए, जो विहित की जाएं, बंधपत्र या वचन बंधपत्र के अधीन, एकीकृत कर के संदाय के बिना, माल या सेवाओं की या दोनों की पूर्ति पर अनुपयोजित इनपुट कर प्रत्यय के प्रतिदाय का दावा करने का पात्र होगा:

परन्तु विक्रय आगमों की वसूली न किए जाने की दशा में, ऐसा रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जो माल की शून्य दर पर पूर्ति करता है, विदेशी मुद्रा विप्रेषणादेशों की प्राप्ति के लिए, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) के अधीन विहित समय-सीमा की समाप्ति के पश्चात् तीस दिन के भीतर धारा 50 के अधीन लागू ब्याज सहित ऐसा संदत्त प्रतिदाय जमा करने का दायी होगा।

(4) सरकार, परिषद् की सिफारिश पर और ऐसी शर्तों सुरक्षोपायों और प्रक्रियाओं के अधीन रहते हुए, अधिसूचना द्वारा निम्नलिखित विनिर्दिष्ट कर सकेंगे,—

- (i) ऐसे वर्ग के व्यक्ति, जो एकीकृत कर के संदाय पर शून्य दर पूर्ति कर सकेंगे और इस प्रकार संदत्त कर के प्रतिदाय का दावा कर सकेंगे;
- (ii) ऐसे वर्ग की माल या सेवाओं का, जो एकीकृत कर के संदाय पर निर्यात की जा सकेंगी और ऐसा माल या सेवाओं का पूर्तिकर्ता इस प्रकार संदत्त कर के प्रतिदाय का दावा कर सकेगा।]

अध्याय 8

कर का प्रभाजन और निधियों का व्यवस्थापन

17. कर का प्रभाजन और निधियों का व्यवस्थापन—(1) केन्द्रीय सरकार को संदत्त किए गए एकीकृत कर में से,—

(क) केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 10 के अधीन कर का संदाय करने वाले किसी अरजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को या किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को माल या सेवाओं या दोनों की अंतरराज्यिक पूर्ति की बाबत;

(ख) माल या सेवाओं या दोनों की अंतरराज्यिक पूर्ति की बाबत, जहां रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति इनपुट कर प्रत्यय के लिए पात्र नहीं है;

(ग) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को किसी वित्तीय वर्ष में माल या सेवा या दोनों की, की गई अंतरराज्यिक पूर्ति की बाबत, जहां वह विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर इनपुट कर प्रत्यय को प्राप्त नहीं करता है और इस प्रकार ऐसे वर्ष के लिए, जिसमें पूर्ति की गई थी, वार्षिक विवरणी देने के लिए देय तारीख के अवसान के पश्चात् एकीकृत कर खाते में बना रहता है;

(घ) केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 10 के अधीन कर का संदाय करने वाले किसी अरजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा या रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा माल या सेवाओं या दोनों के आयात की बाबत;

(ङ) माल या सेवाओं या दोनों के आयात की बाबत, जहां रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति इनपुट कर प्रत्यय के लिए पात्र नहीं है;

(च) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा किसी वित्तीय वर्ष में माल या सेवाओं या दोनों के लिए गए आयात की बाबत, जहां वह विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर उक्त प्रत्यय को प्राप्त नहीं करता है और इस प्रकार ऐसे वर्ष के लिए, जिसमें पूर्ति प्राप्त की गई थी, वार्षिक विवरणी देने के लिए देय तारीख के अवसान के पश्चात् एकीकृत कर खाते में बना रहता है,

उसी प्रकार की राज्य के भीतर पूर्ति कर केन्द्रीय कर के समतुल्य दर पर संगणित कर की रकम केन्द्रीय सरकार को प्रभाजित की जाएगी।

(2) उस पूर्ति की बाबत, जिसके लिए केन्द्रीय सरकार को उपधारा (1) के अधीन प्रभाजन किया गया है, एकीकृत कर खाते में शेष एकीकृत कर की अतिशेष रकम का प्रभाजन,—

(क) ऐसे राज्य को किया जाएगा, जहां ऐसी पूर्ति की जाती है; और

(ख) केन्द्रीय सरकार को किया जाएगा, जहां ऐसी पूर्ति किसी संघ राज्यक्षेत्र में की जाती है :

परन्तु जहां किसी कराधेय व्यक्ति द्वारा की गई ऐसी पूर्ति का स्थान पृथक्: अवधारित नहीं किया जा सकता, वहां उक्त अतिशेष रकम का प्रभाजन,—

(क) प्रत्येक राज्य को; और

(ख) संघ राज्यक्षेत्रों के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार को,

¹ 2021 के अधिनियम सं० 13 की धारा 123 द्वारा “उपधारा 3” प्रतिस्थापित।

किसी वित्तीय वर्ष में, यथास्थिति, प्रत्येक ऐसे राज्य या संघ राज्यक्षेत्रों को ऐसे कराधेय व्यक्ति द्वारा की गई कुल पूर्तियों के अनुपात में किया जाएगा :

परन्तु यह और कि जहां ऐसी पूर्तियां करने वाला कराधेय व्यक्ति पहचान योग्य नहीं है, वहां उक्त अतिशेष रकम का प्रभाजन, ठीक पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान, यथास्थिति, अपने-अपने राज्य द्वारा या केन्द्रीय सरकार द्वारा, यथास्थिति, राज्य कर या संघ राज्य कर के रूप में संगृहीत रकम के अनुपात में सभी राज्यों और केन्द्रीय सरकार को किया जाएगा ।

[1(2क) उपधारा (1) और उपधारा (2) के अधीन प्रभाजित न की गई रकम, तत्समय तदर्थ आधार पर परिषद् की सिफारिशों पर, केन्द्रीय सरकार को पचास प्रतिशत की दर पर और, यथास्थिति, राज्य सरकारों या संघ राज्यक्षेत्रों को पचास प्रतिशत की दर पर प्रभाजित की जाएगी और उक्त उपधाराओं के अधीन प्रभाजित रकम के प्रति समायोजित की जाएगी ।]

(3) एकीकृत कर के प्रभाजन से सम्बन्धित उपधारा (1) और उपधारा (2) के उपबन्ध यथावश्यक परिवर्तनों सहित इस प्रकार प्रभाजित कर के सम्बन्ध में वसूल किए गए ब्याज, शास्ति और शमन की गई रकम के प्रभाजन को लागू होंगे ।

(4) जहां किसी रकम का प्रभाजन उपधारा (1), उपधारा (2) और उपधारा (3) के अधीन केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार को किया गया है, वहां एकीकृत कर के रूप में संगृहीत रकम में से इस प्रकार प्रभाजित रकम के बराबर रकम को घटा दिया जाएगा और केन्द्रीय सरकार, ऐसी रीति में और ऐसे समय के भीतर, जो विहित किए जाएं, केन्द्रीय सरकार को प्रभाजित क्रमिक रकम के बराबर रकम को केन्द्रीय कर खाते या संघ राज्यक्षेत्र कर खाते में अंतरित कर देगी और उस राज्य को प्रभाजित रकम के बराबर रकम को क्रमिक राज्य के राज्य कर खाते में अंतरित कर देगी ।

(5) किसी संघ राज्यक्षेत्र के मद्दे, यथास्थिति, किसी राज्य या केन्द्रीय सरकार को प्रभाजित कोई भी एकीकृत कर, यदि तत्पश्चात् किसी व्यक्ति को प्रतिदेय पाया जाए और ऐसे व्यक्ति को उसका प्रतिदाय कर दिया जाए, तो इस धारा के अधीन ऐसे राज्य या केन्द्रीय सरकार को ऐसे संघ राज्यक्षेत्र के मद्दे प्रभाजित की जाने वाली रकम में से, ऐसी रीति में और ऐसे समय के भीतर, जो विहित की जाए, घटा दिया जाएगा ।

²[17क. कतिपय रकमों का अंतरण—जहां कोई रकम, इस अधिनियम के अधीन इलैक्ट्रानिक नकद खाता से राज्य माल और सेवा कर अधिनियम या संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम के इलैक्ट्रानिक नकद खाता में अंतरित की गई है, वहां सरकार, ऐसी रीति में और ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए, इलैक्ट्रानिक नकद खाता से अंतरित रकम के बराबर रकम को राज्य कर लेखा या संघ राज्यक्षेत्र कर लेखा को अंतरित कर देगी ।]

18. इनपुट कर प्रत्यय का अंतरण—इस अधिनियम के अधीन,—

(क) केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 49 की उपधारा (5) के उपबन्धों के अनुसार केन्द्रीय कर के संदाय के लिए प्राप्त किए गए एकीकृत कर के प्रत्यय के उपयोग पर, एकीकृत कर के रूप में संगृहीत रकम में से इस प्रकार उपयोग किए गए प्रत्यय के बराबर रकम घटा दी जाएगी और केन्द्रीय सरकार एकीकृत कर खाते से इस प्रकार घटी हुई रकम के बराबर रकम को, ऐसी रीति में और ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए, केन्द्रीय कर खाते में अंतरित कर देगी;

(ख) संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 9 के अनुसार संघ राज्यक्षेत्र कर के संदाय के लिए प्राप्त किए गए एकीकृत कर के प्रत्यय के उपयोग पर, एकीकृत कर के रूप में संगृहीत रकम में से इस प्रकार उपयोग किए गए प्रत्यय के बराबर रकम घटा दी जाएगी और केन्द्रीय सरकार एकीकृत कर खाते से इस प्रकार घटी हुई रकम के बराबर रकम को ऐसी रीति में और ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए, संघ राज्यक्षेत्र कर खाते में अंतरित कर देगी;

(ग) क्रमिक राज्य माल और सेवा कर अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार राज्य कर के संदाय के लिए प्राप्त किए गए एकीकृत कर के प्रत्यय के उपयोग पर, एकीकृत कर के रूप में संगृहीत रकम में से इस प्रकार उपयोग किए गए प्रत्यय के बराबर रकम घटा दी जाएगी और उसे समुचित राज्य सरकार को प्रभाजित कर दिया जाएगा तथा केन्द्रीय सरकार इस प्रकार प्रभाजित रकम को, ऐसी रीति में और ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए, समुचित राज्य सरकार के कर खाते में अंतरित कर देगी ।

स्पष्टीकरण—इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए, कराधेय व्यक्ति के सम्बन्ध में “समुचित राज्य से” ऐसा राज्य या संघ राज्यक्षेत्र अभिप्रेत है, जहां वह रजिस्ट्रीकृत है या केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रजिस्ट्रीकृत किए जाने के लिए दायी है ।

19. सदोष संगृहीत और केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार को संदत्त कर—(1) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिसने उसके द्वारा कोई अंतरराज्यिक पूर्ति होना समझी गई पूर्ति पर एकीकृत कर संदत्त कर दिया है, किन्तु जिसे तत्पश्चात् राज्य के भीतर ही पूर्ति अभिनिर्धारित किया गया है, तो उसे ऐसी रीति में और शर्तों के अध्याधीन, जो विहित की जाएं, इस प्रकार संदत्त एकीकृत कर की रकम का प्रतिदाय मंजूर किया जाएगा ।

¹ 2018 के अधिनियम सं० 32 की धारा 7 द्वारा अंतःस्थापित ।

² 2019 के अधिनियम सं० 23 की धारा 114 द्वारा अंतःस्थापित ।

(2) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिसने उसके द्वारा कोई राज्य के भीतर पूर्ति होना समझे गए किसी संब्यवहार पर, यथास्थिति, केन्द्रीय कर और राज्य कर या संघ राज्यक्षेत्र कर संदत्त कर दिया है किन्तु तत्पश्चात् उसे अंतरराज्यिक पूर्ति अभिनिर्धारित कर दिया गया है तो उससे संदेय एकीकृत रकम पर किसी ब्याज के संदाय की अपेक्षा नहीं की जाएगी।

अध्याय 9

प्रकीर्ण

20. केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम के उपबन्धों का लागू होना—इस अधिनियम के उपबन्धों और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अध्याधीन केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम के उपबन्ध निम्नलिखित को, जहां तक हो सके, यथावश्यक परिवर्तनों सहित, एकीकृत कर के सम्बन्ध में, लागू होंगे, जैसे वे केन्द्रीय कर के सम्बन्ध में ऐसे लागू होते हैं, मानो वे इस अधिनियम के अधीन अधिनियमित किए गए हैं,—

- (i) पूर्ति का क्षेत्र;
- (ii) सामूहिक पूर्ति और मिश्रित पूर्ति;
- (iii) पूर्ति का समय और मूल्य;
- (iv) इनपुट कर प्रत्यय;
- (v) रजिस्ट्रीकरण;
- (vi) कर बीजक, जमापत्र और नामे नोट;
- (vii) लेखे और अभिलेख;
- (viii) विलम्ब शुल्क से भिन्न विवरणी;
- (ix) कर का संदाय;
- (x) स्रोत पर कर की कटौती;
- (xi) स्रोत पर कर का संग्रहण;
- (xii) निर्धारण;
- (xiii) प्रतिदाय;
- (xiv) संपरीक्षा;
- (xv) निरीक्षण, तलाशी, अभिग्रहण और गिरफ्तारी;
- (xvi) मांग और वसूली;
- (xvii) कतिपय मामलों में संदाय करने का दायित्व;
- (xviii) अग्रिम विनिर्णय;
- (xix) अपील और पुनरीक्षण;
- (xx) दस्तावेजों के बारे में उपधारणा;
- (xxi) अपराध और शास्तियां;
- (xxii) छुटपुट कार्य;
- (xxiii) इलेक्ट्रानिक वाणिज्य;
- (xxiv) संक्रमणकालीन उपबन्ध; और
- (xxv) प्रकीर्ण उपबन्ध, जिसके अन्तर्गत ब्याज और शास्ति के अधिरोपण से सम्बन्धित उपबन्ध भी हैं :

परन्तु स्रोत पर कटौती किए गए कर की दशा में कटौतीकर्ता, पूर्तिकार को किए गए संदाय या जमा रकम से दो प्रतिशत की दर से कर की कटौती करेगा :

परन्तु यह और कि स्रोत पर संगृहीत कर की दशा में, आपरेटर, कराधेय पूर्तियों के शुद्ध मूल्य के दो प्रतिशत से अनधिक की ऐसी दर पर कर संगृहीत करेगा, जो परिषद् की सिफारिशों पर अधिसूचित की जाए :

परन्तु यह भी कि इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, किसी पूर्ति के मूल्य के अन्तर्गत इस अधिनियम से भिन्न तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन तथा माल और सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर) अधिनियम के अधीन उद्ग्रहीत कोई भी कर, शुल्क, उपकर, फीस और प्रभार भी होंगे, यदि वे पूर्तिकार द्वारा अलग से प्रभारित किए गए हैं :

परन्तु यह भी कि उस दशा में, जहां शास्ति केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम और राज्य माल और सेवा कर अधिनियम या संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन शास्ति उद्ग्रहणीय है, वहां इस अधिनियम के अधीन उद्ग्रहणीय शास्ति उक्त शास्तियों की कुल राशि होगी ।

¹[परन्तु यह भी कि जहां अपील, अपील प्राधिकारी या अपील अधिकरण के समक्ष फाइल की जानी है, वहां अधिकतम संदेय रकम क्रमशः पचास करोड़ रुपए और एक अरब रुपए होगी ।]

21. नियत दिन को या उसके पश्चात् की गई सेवाओं का आयात—नियत दिन को या उसके पश्चात् की गई सेवाओं का आयात, इस बात पर ध्यान दिए बिना कि सेवाओं के ऐसे आयात का संव्यवहार नियत दिन से पहले प्रारम्भ कर दिया गया था, इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कर के दायित्वाधीन होगा:

परन्तु यदि सेवाओं के ऐसे आयात पर कर, विद्यमान विधि के अधीन पूर्णतः संदत्त कर दिया गया था, तो इस अधिनियम के अधीन ऐसे आयात पर कोई कर संदेय नहीं होगा:

परन्तु यह और कि यदि सेवाओं के ऐसे आयात पर कर, विद्यमान विधि के अधीन भागतः संदत्त कर दिया गया था, तो इस अधिनियम के अधीन ऐसे आयात पर कर की अतिशेष रकम संदेय होगी ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, किसी संव्यवहार को नियत दिन से पहले प्रारम्भ किया गया समझा जाएगा, यदि या तो ऐसी पूर्ति से सम्बन्धित बीजक या संदाय, या तो पूर्णतः या भागतः नियत दिन से पहले प्राप्त कर लिया गया है या किया गया है ।

22. नियम बनाने की शक्ति—(1) सरकार परिषद् की सफारिशों पर इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिए अधिसूचना द्वारा नियम बना सकेगी ।

(2) उपधारा (1) के उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, सरकार ऐसे सभी या किन्हीं विषयों के लिए नियम बना सकेगी, जो इस अधिनियम द्वारा विहित किए जाने अपेक्षित हों या विहित किए जाएं या जिनके सम्बन्ध में उपबन्ध नियमों द्वारा बनाए जाने हैं या बनाए जाएं ।

(3) इस धारा द्वारा प्रदत्त नियम बनाने की शक्ति के अन्तर्गत, उस तारीख से, जिसको इस अधिनियम के उपबन्ध प्रवृत्त होते हैं, अपूर्व किसी तारीख से, नियमों या उनमें से किसी नियम को भूतलक्षी प्रभाव देने की शक्ति भी है ।

(4) उपधारा (1) के अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों में यह उपबन्ध किया जा सकेगा कि उनका उल्लंघन दस हजार रुपए से अनधिक की शास्ति के दायित्वाधीन होगा ।

23. विनियम बनाने की शक्ति—बोर्ड, इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिए अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए नियमों से संगत विनियम बना सकेगा ।

24. नियमों, विनियमों और अधिसूचनाओं का रखा जाना—सरकार द्वारा इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, बोर्ड द्वारा बनाया गया प्रत्येक विनियम तथा सरकार द्वारा जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना को बनाए जाने या जारी किए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा । यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी । यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम, विनियम या अधिसूचना में कोई उपांतरण करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे उपांतरित रूप में ही प्रभावी होगा । यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम, विनियम नहीं बनाया जाना चाहिए या अधिसूचना जारी नहीं की जानी चाहिए, तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा, तथापि नियम, विनियम या अधिसूचना के ऐसे उपांतरित या निष्प्रभाव होने से, यथास्थिति, नियम, विनियम या अधिसूचना के अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

25. कठिनाइयों को दूर करना—(1) यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर राजपत्र में प्रकाशित साधारण या विशेष आदेश द्वारा, ऐसे उपबन्ध कर सकेगी, जो इस अधिनियम के उपबन्धों या उसके अधीन बनाए गए नियमों अथवा विनियमों से असंगत न हों, जो उक्त कठिनाई को दूर करने के प्रयोजन के लिए आवश्यक या समीचीन हो;

परन्तु ऐसा कोई भी आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख से [पांच वर्ष] की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा ।

¹ 2018 के अधिनियम सं० 32 की धारा 8 द्वारा अंतःस्थापित ।

² 2020 के अधिनियम सं० 12 की धारा 134 द्वारा "तीन वर्ष" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश उसके किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा ।
